भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2787
जिसका उत्तर बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

एमएसएमई के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण

2787. श्री पी. पी. चौधरी:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री शशांक मणि:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन प्राप्त करने में एमएसएमई और स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए कोई रियायत, छूट या सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो बीआईएस प्रमाणन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को आसान बनाने के लिए शुरू किए गए सुधारों या परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीआईएस एमएसएमई के लिए उत्पाद परीक्षण, मानक अनुपालन या प्रमाणन हेतु कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करता है और यदि हां, तो विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले सहित राज्य-वार कितने एमएसएमई को बीआईएस लाइसेंस प्रदान किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा एमएसएमई को वार्षिक न्यूनतम मार्किंग शुल्क में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म स्तर/स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए 80%, लघु स्तर की इकाइयों के लिए 50% तथा मध्यम स्तर की इकाइयों के लिए 20% की रियायत दी जाती है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित इकाइयों अथवा महिला उद्यमी द्वारा संचालित एमएसएमई इकाइयों को 10% की अतिरिक्त रियायत प्रदान की जाती है।

प्रयोगशाला मान्यता स्कीम (एलआरएस) की शुल्क संरचना में संशोधन किया गया है तथा सूक्ष्म एवं लघु स्तर की प्रयोगशालाओं/महिला स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं के लिए प्रारंभिक आवेदन शुल्क को ₹40,000/- से घटाकर ₹10,000/- और मध्यम स्तर की प्रयोगशालाओं के लिए ₹20,000/- कर दिया गया है।

इसके अलावा, एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए मान्यता शुल्क/नवीकरण मान्यता शुल्क को भी ₹1,00,000/- से घटाकर ₹60,000/- कर दिया गया है।

साथ ही, प्रयोगशालाओं को मान्यता के दायरे में अधिक भारतीय मानकों/उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, समावेशन आवेदन एवं प्रसंस्करण शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ): बीआईएस द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वित्तीय एवं तकनीकी रियायतें लागू की गई हैं, जो पूरे देश में लागू हैं;

एमएसएमई इकाइयों के लिए इन-हाउस प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता को वैकल्पिक कर दिया गया है। एमएसएमई इकाइयों को बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं, एनएबीएल से प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की सेवाएं लेने या क्लस्टर-आधारित प्रयोगशालाओं अथवा अन्य विनिर्माण इकाइयों की प्रयोगशालाओं जैसे संसाधनों को साझा करने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, निरीक्षण एवं परीक्षण स्कीम (एसआईटी) के अंतर्गत निर्धारित 'नियंत्रण स्तर' को अनुशंसात्मक बना दिया गया है। विनिर्माता को अपने नियंत्रण इकाई/बैच/लॉट तथा अपने नियंत्रण स्तर स्वयं निर्धारित करने तथा इसकी सूचना बीआईएस को देने का विकल्प दिया गया है।

घरेलू विनिर्माताओं के लिए, देश के सभी शाखा कार्यालयों (बीओ) में उत्पाद प्रमाणन से संबंधित गतिविधियों और प्रक्रियाओं को 'मानक ऑनलाइन' नामक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटाइज़ कर दिया गया है। घरेलू विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित कर दिया गया है। विनिर्माता अपनी सुविधानुसार नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन के पश्चात नवीनीकरण अनुमोदन स्वतः जारी हो जाता है, जिससे प्रमाणन की वैधता बढ़ जाती है।

साथ ही, बीआईएस द्वारा स्थानीय स्तर पर उद्योग के लिए क्षेत्र-विशिष्ट फोकस के साथ लक्षित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मानकों, उनके कार्यान्वयन के उपायों तथा बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बीआईएस द्वारा प्रमाणित विनिर्माताओं के साथ 'मानक संवाद' आयोजित किया जाता है, ताकि उन्हें ओरिएंटेशन दिया जा सके और गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया जा सके।

बीआईएस ने मानकों के विकास और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं, विशेष रूप से एमएसएमई सहित जमीनी स्तर पर हितधारकों के साथ अपनी सहभागिता को सुदृढ़ किया है। मानकों के विकास के मसौदा चरण में फीडबैक के अवसर उपलब्ध करवाने के अलावा, बीआईएस 'मानक मंथन' के माध्यम से नए मानकों के निर्माण तथा मौजूदा मानकों के संशोधन के चरण में भी सहभागिता करता है।

इसके अलावा, बीआईएस द्वारा देशभर में 'कैप्सूल कोर्स' नामक उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये 1–2 दिनों के अल्पकालिक पाठ्यक्रम होते हैं, जिन्हें उद्योग की रुचि के विशिष्ट उत्पादों के अनुरूप तैयार किया जाता है और जिनका फोकस संबंधित भारतीय मानक की आवश्यकताओं पर होता है। ये पाठ्यक्रम एमएसएमई को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं

पिछले तीन वर्षों में बीआईएस द्वारा एमएसएमई को प्रदान किए गए कुल लाइसेंसों की संख्या 18,784 है जिसमें राजस्थान राज्य, विशेष रूप से पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई को 1016 एवं 10 लाइसेंस तथा आंध्र प्रदेश राज्य, विशेष रूप से पलनाडु जिले में एमएसएमई को 359 एवं 02 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान सहित राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

'एमएसएमई के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण' के संबंध में दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2787 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में एमएसएमई को दिए गए बीआईएस लाइसेंस की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य/वित्त वर्ष				
	सूक्ष्म	**लघू**	**मध्यम**	**कुल**
अंडमान एवं निकोबार	**5**	**0**	**0**	**5**
वित्त वर्ष 2022-2023	1	0	0	1
वित्त वर्ष 2023-2024	1	0	0	1
वित्त वर्ष 2024-2025	3	0	0	3
आंध्र प्रदेश	**237**	**69**	**53**	**359**
वित्त वर्ष 2022-2023	57	29	13	99
वित्त वर्ष 2023-2024	76	14	12	102
वित्त वर्ष 2024-2025	104	26	28	158
अरुणाचल प्रदेश	**12**	**1**	**0**	**13**
वित्त वर्ष 2022-2023	2	1	0	3
वित्त वर्ष 2023-2024	3	0	0	3
वित्त वर्ष 2024-2025	7	0	0	7
असम	**159**	**52**	**29**	**240**
वित्त वर्ष 2022-2023	43	18	11	72
वित्त वर्ष 2023-2024	54	21	8	83
वित्त वर्ष 2024-2025	62	13	10	85
बिहार	**146**	**37**	**24**	**207**
वित्त वर्ष 2022-2023	38	11	9	58
वित्त वर्ष 2023-2024	45	11	6	62
वित्त वर्ष 2024-2025	63	15	9	87
चंडीगढ़	**7**	**0**	**0**	**7**
वित्त वर्ष 2022-2023	2	0	0	2
वित्त वर्ष 2023-2024	5	0	0	5
वित्त वर्ष 2024-2025	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	**201**	**146**	**116**	**463**
वित्त वर्ष 2022-2023	48	43	24	115
वित्त वर्ष 2023-2024	65	47	29	141
वित्त वर्ष 2024-2025	88	56	63	207
दादरा और नगर हवेली	**23**	**31**	**35**	**89**
वित्त वर्ष 2022-2023	4	10	8	22

वित्त वर्ष 2023-2024	10	7	10	27
वित्त वर्ष 2024-2025	9	14	17	40
दमन और दीव	**13**	**20**	**29**	**62**
वित्त वर्ष 2022-2023	3	5	6	14
वित्त वर्ष 2023-2024	6	4	4	14
वित्त वर्ष 2024-2025	4	11	19	34
दिल्ली	**817**	**254**	**50**	**1121**
वित्त वर्ष 2022-2023	251	46	17	314
वित्त वर्ष 2023-2024	280	91	13	384
वित्त वर्ष 2024-2025	286	117	20	423
गोवा	**10**	**11**	**8**	**29**
वित्त वर्ष 2022-2023	1	2	3	6
वित्त वर्ष 2023-2024	4	3	4	11
वित्त वर्ष 2024-2025	5	6	1	12
गुजरात	**1153**	**554**	**415**	**2122**
वित्त वर्ष 2022-2023	301	163	118	582
वित्त वर्ष 2023-2024	354	132	107	593
वित्त वर्ष 2024-2025	498	259	190	947
हरियाणा	**1313**	**633**	**406**	**2352**
वित्त वर्ष 2022-2023	277	73	61	411
वित्त वर्ष 2023-2024	417	244	151	812
वित्त वर्ष 2024-2025	619	316	194	1129
हिमाचल प्रदेश	**183**	**62**	**71**	**316**
वित्त वर्ष 2022-2023	55	13	15	83
वित्त वर्ष 2023-2024	71	20	24	115
वित्त वर्ष 2024-2025	57	29	32	118
जम्मू और कश्मीर	**68**	**16**	**7**	**91**
वित्त वर्ष 2022-2023	13	4	5	22
वित्त वर्ष 2023-2024	24	3	0	27
वित्त वर्ष 2024-2025	31	9	2	42
झारखंड	**143**	**35**	**35**	**213**
वित्त वर्ष 2022-2023	36	7	8	51
वित्त वर्ष 2023-2024	53	7	4	64
वित्त वर्ष 2024-2025	54	21	23	98
कर्नाटक	**491**	**204**	**109**	**804**
वित्त वर्ष 2022-2023	129	48	28	205
वित्त वर्ष 2023-2024	175	68	29	272
वित्त वर्ष 2024-2025	187	88	52	327
केरल	**224**	**122**	**52**	**398**

वित्त वर्ष 2022-2023	53	39	16	108
वित्त वर्ष 2023-2024	81	42	13	136
वित्त वर्ष 2024-2025	90	41	23	154
मध्य प्रदेश	**348**	**126**	**84**	**558**
वित्त वर्ष 2022-2023	93	49	33	175
वित्त वर्ष 2023-2024	95	28	14	137
वित्त वर्ष 2024-2025	160	49	37	246
महाराष्ट्र	**1168**	**536**	**334**	**2038**
वित्त वर्ष 2022-2023	345	136	74	555
वित्त वर्ष 2023-2024	441	180	93	714
वित्त वर्ष 2024-2025	382	220	167	769
मणिपुर	**29**	**2**	**2**	**33**
वित्त वर्ष 2022-2023	8	1	0	9
वित्त वर्ष 2023-2024	8	0	0	8
वित्त वर्ष 2024-2025	13	1	2	16
मेघालय	**7**	**12**	**3**	**22**
वित्त वर्ष 2022-2023	0	4	1	5
वित्त वर्ष 2023-2024	1	2	0	3
वित्त वर्ष 2024-2025	6	6	2	14
मिजोरम	**8**	**2**	**0**	**10**
वित्त वर्ष 2022-2023	0	1	0	1
वित्त वर्ष 2023-2024	3	0	0	3
वित्त वर्ष 2024-2025	5	1	0	6
नागालैंड	**1**	**0**	**0**	**1**
वित्त वर्ष 2022-2023	0	0	0	0
वित्त वर्ष 2023-2024	0	0	0	0
वित्त वर्ष 2024-2025	1	0	0	1
ओडिशा	**183**	**47**	**29**	**259**
वित्त वर्ष 2022-2023	53	11	10	74
वित्त वर्ष 2023-2024	73	13	7	93
वित्त वर्ष 2024-2025	57	23	12	92
पुदुचेरी	**7**	**5**	**7**	**19**
वित्त वर्ष 2022-2023	0	1	4	5
वित्त वर्ष 2023-2024	5	2	0	7
वित्त वर्ष 2024-2025	2	2	3	7
पंजाब	**905**	**321**	**178**	**1404**
वित्त वर्ष 2022-2023	229	62	47	338
वित्त वर्ष 2023-2024	376	137	61	574
वित्त वर्ष 2024-2025	300	122	70	492

राजस्थान	**575**	**246**	**195**	**1016**
वित्त वर्ष 2022-2023	130	48	43	221
वित्त वर्ष 2023-2024	204	77	65	346
वित्त वर्ष 2024-2025	241	121	87	449
तमिलनाडु	**546**	**290**	**224**	**1060**
वित्त वर्ष 2022-2023	177	42	34	253
वित्त वर्ष 2023-2024	178	98	85	361
वित्त वर्ष 2024-2025	191	150	105	446
तेलंगाना	**211**	**92**	**92**	**395**
वित्त वर्ष 2022-2023	43	28	24	95
वित्त वर्ष 2023-2024	77	15	19	111
वित्त वर्ष 2024-2025	91	49	49	189
त्रिपुरा	**40**	**5**	**0**	**45**
वित्त वर्ष 2022-2023	11	1	0	12
वित्त वर्ष 2023-2024	19	2	0	21
वित्त वर्ष 2024-2025	10	2	0	12
उत्तर प्रदेश	**986**	**546**	**288**	**1820**
वित्त वर्ष 2022-2023	216	96	63	375
वित्त वर्ष 2023-2024	320	193	100	613
वित्त वर्ष 2024-2025	450	254	128	832
उत्तराखंड	**127**	**60**	**68**	**255**
वित्त वर्ष 2022-2023	33	13	14	60
वित्त वर्ष 2023-2024	41	19	22	82
वित्त वर्ष 2024-2025	53	28	32	113
पश्चिम बंगाल	**570**	**194**	**194**	**958**
वित्त वर्ष 2022-2023	171	61	53	285
वित्त वर्ष 2023-2024	192	48	37	277
वित्त वर्ष 2024-2025	207	85	104	396
कुल	**10916**	**4728**	**3140**	**18784**

******